झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय-सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,बुधवार,दिनांक :- 05 चैत्र,1937 (श0) / 25 मार्च,2015(ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01 02	03	04	05	06
(136)-अ0सू0-27	श्री आलोक कुमार चौरसिया	बी0पी0एल0 सूची में शामिल करना।	ग्रामीण विकास	09.03.15
(205)-अ0सू0-40	श्री कमल किशोर भगत	पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	पंचायती राज	13.03.15
(206)-अ0सू0-42	श्री संजीव सिंह	माझा कर्मियों को लंबित वेतन का भुगतान।	नगर विकास	16.03.15
(207)-अ0सू0-31	श्री राज सिन्हा	नगरपालिका क्षेत्र में अधिगृहित करना।	नगर विकास	11.03.15
(208)-अ0सू0-38	श्री दीपक बिरूवा	पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति करना।	पंचायती राज	12.03.15
(209)-अ0सू0-36	श्री प्रदीप यादव	लंबित कार्य पूर्ण करना।	पथ निर्माण	12.03.15

क्र0पृ0उ0...2

01	02	03	04	05	06
उत्तर संलग्न	(210)-अ0सू0-35	श्री आलमगीर आलम	शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	12.03.15
उत्तर संलग्न	(211)-अ0सू0-26	श्री नारायण दास	इन्दिरा आवास आवंटन।	ग्रामीण विकास	09.03.15
उत्तर संलग्न	(212)-अ0सू0-46	श्री कुलू महतो	जलापूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	19.03.15
उत्तर संलग्न	(213)-अ0सू0-43	श्री राज सिन्हा	जाँच कर दोषी पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	16.03.15
	(214)-अ0सू0-45	श्री अनिल मुरमू	बी0पी0एल0सूची में शामिल करना।	ग्रामीण विकास	19.03.15
उत्तर संलग्न	(215)-अ0सू0-37	श्री प्रदीप यादव	पंचायत को सक्षम बनाना।	पंचायती राज	12.03.15
उत्तर संलग्न	(216)-अ0सू0-47	श्री जानकी प्र0 यादव	नियुक्ति को रद्द करना।	ग्रामीण कार्य	19.03.15
उत्तर संलग्न	(217)-अ0सू0-44	श्री बादल	रिंग रोड निर्माण पूर्ण करना।	पथ निर्माण	17.03.15
उत्तर संलग्न	(218)-अ0सू0-39	श्री रघुनन्दन मण्डल	दो वक्त जलापूर्ति करना।	नगर विकास	13.03.15

नोट :- फ'आदेश पत्र संख्या-136 अ0सू0-27 दिनांक-16.03.2015 को सदन द्वारा स्थगित।

राँची
दिनांक:-25 मार्च,2015ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-झा0वि0स0-05/2015-1578/वि0स0, राँची, दिनांक- 21 मार्च,2015ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

21.03.15
(अनिल कुमार)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-झा0वि0स0-05/2015-1578/वि0स0, राँची, दिनांक- 21 मार्च,2015ई0।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21.03.15

गोपी/

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

बी०पी०एल० सूची में शामिल करना ।

'क' 136. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2002 में बी०पी०एल० का सर्वेक्षण हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सर्वेक्षण में अनेकों अति निर्धन व्यक्ति बी०पी०एल० सूची में बाहर हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि 2002 का बी०पी०एल० सर्वेक्षण को 2007 में कायम रखा गया;

(4) क्या यह बात सही है कि क्षेत्र की जनता बी०पी०एल० में सुधार के लिए सरकार से मांग करती आ रही है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अति निर्धन परिवारों का सर्वेक्षण करा कर बी०पी०एल० सूची में शामिल करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

वर्तमान में कराये जा रहे सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जाने के पश्चात भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आधार पर बी०पी०एल० की नयी सूची तैयार की जाएगी ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) स्वीकारात्मक ।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े के आधार मानते हुए भारत सरकार से निदेश के आधार पर बी०पी०एल० की नयी सूची तैयार की जाएगी ।

(5) वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 सर्वे कराया जा रहा है । सर्वे के पश्चात् सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के डाटा तथा भारत सरकार के निदेशों के आधार पर बी०पी०एल० व्यक्तियों की नयी सूची तैयार की जाएगी ।

श्री कमल किशोर भगत, माननीय सा0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 25.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0– 40 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की धारा 243 (G) के तहत 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विभिन्न 29 विषयों पर शक्तियाँ और प्राधिकार नहीं सौंपे गए हैं ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । संविधान के अनुच्छेद 243(छ) के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से 24 विषयों से संबंधित 12 विभागों के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 75, 76 एवं 77 में क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को विभिन्न अधिकार प्रदान किये गये जिसका क्रियान्वयन अब तक राज्य में नहीं किया गया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । इन शक्तियों के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पंचायत गठन के पश्चात सरकार द्वारा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001, झारखण्ड पंचायत (मुखिया/उप मुखिया/प्रमुख/उप प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के शक्तियाँ एवं कृत्य) नियमावली, 2011 तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के संदर्भ में निर्देश निर्गत की गई है ।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ कर आमजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 75, 76 एवं 77 को संवैधानिक मापदण्डों के अनुसार राज्य में लागु करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गई है । पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयत्नशील है ।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0जी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग ।

ज्ञापांक:–1स्था(वि0)–35 / 2015 [illegible] /, राँची, दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1195 दिनांक 13.03.2015 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 1स्था(वि0)–35 / 2015 [illegible] /, राँची, दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि:– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0जी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव

श्री संजीव सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–25.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–42 की उत्तर सामग्रीः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि "झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011" 48, धारा–615 (4) के प्रावधानानुसार "माडा" (MADA) अधिनियम, 1986 को निष्प्रभावी कर दिया गया है,	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि "माडा" द्वारा जारी विकास कार्य, अर्थाभाव मे अस्त–व्यस्त हो चुका है और "माडा" कर्मचारियों को पिछले 30 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है,	प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, माडा, धनबाद के पत्रांक–613 दि०–21.03.2015 के अनुसार अर्थाभाव में अस्त–व्यस्त हो जाने के कारण माडा कोयलांचल में विकास कार्य नहीं कर पा रही है, एवं माडा के कर्मचारियों का वेतन सामान्यतः पिछले 30 माह से बकाया है। राशि की उपलब्धता के आधार पर समय–समय पर बकाया वेतन का भुगतान किया जाता है। दिनांक–04.03.2015 को एक माह के बकाया वेतन का भुगतान सभी कर्मियों को किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि "माडा" धनबाद द्वारा कारण दर्शाते हुए "झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011" के अध्याय–48 की धारा–615 (4) को धारा–615 (3) के अनुरूप संशोधित करने हेतु पूर्ववर्ती सरकार से अनुरोध किया गया है,	स्वीकारात्मक है।
4	क्या यह बात सही है कि विकास आयुक्त, राँची के अध्यक्षतः में उच्चस्तरीय समिति की दिनांक–18.06.2014 की बैठक के निर्णय के अनुसार "माडा" के अस्तित्व को कायम रखने के लिए नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा–615 (4) में आवश्यक संशोधन किया जाता है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक–26.11.2013 को सम्पन्न बैठक में माडा के अस्तित्व को बरकरार रखने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिये गये है–"खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–615(3) के प्रावधान के अनुसार राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की भांति धनबाद नगर निगम परिक्षेत्र के बाहर अपने कार्यों को सम्पादित करता रहे।" इस आशय का संशोधन प्रक्रियाधीन है
5	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार "झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011" के अध्याय–48 की धारा–615 (4) को धारा–615 (3) के अनुरूप यथाशीघ्र संशोधित करने एवं माडा कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–615(3) में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। माडा एक स्वायत्त संस्था है, जो अपने संसाधनों के आधार पर कर्मियों का वेतन भुगतान करती है। राज्य सरकार माडा को कोई राशि नहीं उपलब्ध करती है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–1/वि०स०/अ०सू०–42/02/2015/नवि० 110 राँची, दिनांक– 24-03-15,

प्रतिलिपिः–उपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के पत्रांक–1293 दिनांक–16.03.2015 के आलोक में 200 (दो) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/3/2015
(राम नारायण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

श्री राज सिन्हा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–31 का उत्तर सामग्री

क्या मंत्री, नगर विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है पलामू जिला के जिला मुख्यालय मेदिनीनगर (डालटनगंज) की लगभग आधी आबादी शहर से 2 कि०मी० के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेड़मा, बारालोटा, सूदना तथा बैरिया में अवस्थित हो गयी है, किन्तु इन गाँवों को नगर पालिका क्षेत्र में अब तक अधिसूचित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण नगर की आधी आबादी नगर पालिका की सुविधाओं से वंचित है, बिना नक्शा पास करवाये भवनों का निर्माण हो रहा है तथा ड्रेनेज सिस्टम के अभाव के कारण अधिकांश मुहल्ले स्लम एरिया के रूप में तबदील हो गये हैं ;	स्वीकारात्मक है।
02.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आगामी नगर पालिका एवं पंचायत चुनाव से पूर्व खण्ड (1) में वर्णित पंचायतों के नगर पालिका क्षेत्र में अधिगृहित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि मेदिनीनगर नगर परिषद् के पत्रांक–73, दि०–20.01.15 द्वारा रेड़मा, बारालोटा, सूदना, डैरिया, निमिया एवं हजराहा को उक्त नगर परिषद् के क्षेत्रान्तर्गत शामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव विभाग में प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक–469 दि०–11.02.15 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मेदिनीनगर नगर परिषद् के क्षेत्र विस्तारित किये जाने के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अप्राप्त है। उपायुक्त, पलामू से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–9 की उपधारा–3 में किये गये प्रावधान के आलोक में उक्त निकाय के क्षेत्र विस्तार के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–4/न०वि०/अ०सू०/103/2015–1015 न०वि०/राँची, दिनांक– 18-03-15.

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञा० सं०–1006 दिनांक–11.03.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री दीपक बिरूआ, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 25.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0– 38 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 3152 दिनांक 22.03.2012 के आलोक में सभी उपायुक्तों को पत्र संख्या 01स्था–29/2010/155 दिनांक 19.01.2015 के द्वारा ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित करते हुए पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया है ?	स्वीकारात्मक है ।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश का अनुपालन अब तक पश्चिमी सिंहभूम जिला में नहीं किया गया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त संकल्प/आदेश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिला में कार्यरत दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पश्चिमी सिंहभूम जिला में पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु रिक्ति के विरूद्ध वेतमान अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है । आरक्षण संबंधित अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0जी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग ।

ज्ञापांक:–1स्था(वि0) 33/2015–857 /, राँची, दिनांक:–24.3.15

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1132 दिनांक 12.03.2015 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/15
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 1स्था(वि0)–33/2015–857 /, राँची, दिनांक:–24.3.15

प्रतिलिपि:– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं रामनाथ विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0जी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

24/3/15
सरकार के अवर सचिव

मान0, स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 25.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-36 का उत्तर प्रतिवेदन :-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -	
1 क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008-09 में एशियन विकास बैंक (ए0डी0बी0) के मदद से गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ 361 कि0मी0 सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई थी;	गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ परियोजना की कुल लम्बाई 311 कि0मी0 है। इस योजना को चार भागों (पैकेजों) मे विभक्त किया गया है।
2 क्या यह बात सही है कि इस कार्य को सितम्बर, 2013 तक पूर्ण करना था ;	स्वीकारात्मक। किन्तु भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं वन भूमि अपयोजन के विलम्ब के कारण निर्माणाधीन कार्य की समयवृद्धि मार्च 2016 तक दी गई है।
3 क्या यह बात सही है कि इस कार्य में अब तक प्राक्कलन का 90% खर्च होने के बाद भी 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया है ;	अस्वीकारात्मक। चारों पैकेज की Overall वित्तीय उपलब्धि - 46.93% है। जबकि भौतिक उपलब्धि - 62.42% है।
4 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लंबित कार्य के दोषी व्यक्ति एवं एजेंसी को सजा देते हुए कार्य को पूरा कराना चाहती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	क्रमांक-2 के उत्तर से स्पष्ट है कि संवेदक को पूर्ण रूप से बाधा रहित स्थल उपलब्ध नही कराने के कारण कार्य मे विलम्ब हुआ। मार्च 2016 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0-11-अल्पसूचित- 04/2015 2126(S) राँची/दिनांक : 24/03/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1133 दिनांक 12.03.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रवालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

24/03/15
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0-11-अल्पसूचित- 04/2015 2126(S) राँची/दिनांक : 24/03/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/15
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड विधान सभा के माननीय विधायक श्री आलमगीर आलम, स. वि. स., द्वारा दिनांक 25.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं. अ.सू.–35 का उत्तर।

क्र.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बताने की करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य में 4332 लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गई, जिसमें अबतक मात्र 1281 योजना ही पूर्ण किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में 4231 लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाना है। 2671 योजना की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत योजना के विरूद्ध 1301 योजना पूर्ण हो चुकी है एवं 1370 योजना निर्माणाधीन है, जिसकी स्थिति निम्न है– 205 योजनाएँ – 75% पूर्ण 565 योजनाएँ – 50% पूर्ण 600 योजनाएँ– 25% पूर्ण इन सभी योजनाओं को अक्टुबर 2015 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। 1557 योजना की स्वीकृति पर कार्रवाई की जा रही है, इसका जलस्रोत तैयार है।
2.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ एवं साहेबगंज जिला में वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत 258 एवं 163 लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं में अबतक 248 एवं 120 योजना अपूर्ण है;	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत साहेबगंज जिला में 101 अदद है जिसमें 31 अदद योजना पूर्ण हो गई है। पाकुड़ जिला में 80 अदद योजना है जिसमें से 12 अदद योजना पूर्ण हो गई है। स्वीकृत लघु जलापूर्ति योजना के विरूद्ध संवेदक को कार्य आवंटित है। मई 2015 तक योजना का कार्य पूर्ण हो जाएगी।

EASH(SEMI)

3.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गर्मी से पूर्व सभी लम्बित लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं को पूर्ण करा कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, अगर नही तो, क्यों ?	योजनाओं का सम्पूर्ण ब्यौरा कंडिका–1 में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 978 दिनांक 20/3/15

प्रतिलिपि: झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 1130 दिनांक 12.03.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/15

(सुरेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

KASH/SHMIS

श्री नारायण दास, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 25.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–26 का उत्तर प्रतिवेदन ।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में बी0पी0एल0 परिवारों को इंदिरा आवास वर्ष 2002 के आधार पर आवंटित किया जाता है	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 में हुए अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों की जनगणना की गयी थी। जनगणना किराये आधार पर इंदिरा आवास आवंटित करने से राज्य के शेष बी0पी0एल0 परिवारों को फायदा होगा	वर्ष 2002–07 के बी0पी0एल0 सर्वे के पश्चात 2009–10 में पुनरीक्षण के पश्चात अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों को भारत सरकार से मान्यता नहीं होने का कारण उन्हें इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों को वर्ष 2007 बी0पी0एल0 जनगणना के आधार पर इंदिरा आवास का आवंटन करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	दिनांक 16.03.2015 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के पश्चात सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के डाटा तथा भारत सरकार के निदेशों के आधार पर बी0पी0एल0 सूचियों को नयी सूची तैयार की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1059 दिनांक 16.03.15

ग्रा0वि0 08–वि0स0–13/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञा0 सं0– 846/वि0स0 दिनांक 09.03.2015 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/15
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 1059 दिनांक 16.03.15

ग्रा0वि0 08–वि0स0–13/2016

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्री नारायण दास, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/15
सरकार के अवर सचिव ।

श्री दुलू महतो, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 25.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न अ-सू46 की उत्तर।

क्या मंत्री जी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे की :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1. क्या यह बात सही है कि कोयला क्षेत्र में उत्खन्न कार्य होने के कारण भू–गर्भ जल का स्तर काफी नीचे चला गया है जबकि पीट वाटर का विशाल भंडार है।	• स्वीकारात्मक। कोयला उत्खनन के दौरान Dewatering के कारण जल स्तर में कमी आती है। यह सही है कि abandoned mines में वर्षा जल का भण्डारण होता है। परन्तु सभी माईन्स पीट में गुणवत्ता वाला पेयजल एवं पानी की मात्रा नहीं होती है। इसकी मात्रा एवं गुणवत्ता का सही मूल्यांकन विशेषज्ञ दल द्वारा कराना आवश्यक है। प्री–फीजविलटी स्टडी के बाद ही योजना चयन पर विचार किया जा सकता है।
2. क्या यह बात सही है कि पीट वाटर को स्वच्छ कर आपूर्ति करने से पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है परन्तु कोयला कम्पनी द्वारा इस जल को बहाकर बर्बाद कर दिया जा रहा है।	• वस्तु स्थिति यह है की abandoned माईन्स पीट के जल की मात्र एवं गुणवत्ता की जाँच एवं NOC प्राप्त होने के उपरान्त पेयजल हेतु उपयोगिता आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। विभाग द्वारा पूर्व से ही निम्न योजनाओं का संचालन माईन्स पीट के जल से किया जा रहा है। <u>गिरिडीह जिला</u> 1.गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना 2.पतरोडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना (निर्माणाधीन) 3.परातडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना (निर्माणाधीन) 4.बदडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना (निर्माणाधीन) <u>रामगढ जिला</u> 1.माण्डु ग्रामीण जलापूर्ति योजना 2.भुरकुण्डा ग्रामीण जलापूर्ति योजना (बगल में दूसरी माइन्स चालू हो जाने के कारण इसका भी अस्तित्व खतरे में है।) 3.तोयरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना 4.अकदौनीकला ग्रामीण जलापूर्ति योजना (निर्माणाधीन) 5.चुम्बा ग्रामीण जलापूर्ति योजना (निर्माणाधीन) 6.तोपा ग्रामीण जलापूर्ति योजना (निर्माणाधीन) <u>हजारीबाग जिला</u> 1.बलसमरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना (निर्माणाधीन) सामान्यतः जिस माइन्स पीट से कोयला का उत्खन्न होता रहता है उसी माईन्स पीट का Dewatering कोयला कम्पनी द्वारा किया जाता है, ऐसे माईन्स पीट से जलापूर्ति सम्भव नहीं है। माईन्स पीट के निकट दुसरी माईन्स चालू होने से योजना पूर्णतः नानफंकसनल (Non-Functional) हो जाती है। ऐसे में 30 वर्षीय आधार पर गठित पेयजल योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा नदी आधारित रखना श्रेयस्कर होता है। ऐसे स्रोतों पर बड़ा निवेश करना सामान्यतः अच्छा विकल्प नहीं होता है।

3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पीट वाटर को स्वच्छ कर आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	• विभाग पहले से ही abandoned mines में संग्रहित जल से कतिपय स्थल पर जलापूर्ति कर रही है। अन्य माईन्स पीट का मूल्यांकन विशेषज्ञ द्वारा भंडारित जल की मात्रा, उपलब्धता का समय, गुणवत्ता की जाँच कर निर्णय लिया जा सकता है। विदित हो की स्थल का मालिकाना हक/लीज पर कोयला कम्पनी का अधिकार होता है। इसमें उनकी सहमति आवश्यक है। सम्बन्धित कोयला कम्पनी को भी CSR के तहत् जलापूर्ति/सिचाई, जिस योग्य जल हो, उपयोग का कार्य योजना तैयार कर उपयोग में लाने हेतु कारवाई करने का निर्देश अन्तर्विभागीय समन्वय कर दिया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक 07/अ० सू०-01-07/2014 – 1036 दिनांक :– 24/3/15

प्रतिलिपि :– सरकार के अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं० 1484 दिनांक 19.03.15 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

माननीय विधायक श्री राज सिन्हा, स० वि० स०, झारखंड द्वारा दिनांक–25.03.15 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अल्पसू०–43 का उत्तर।

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में मैथन डैम के जल पर आधारित 109 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना शुरू की गई जिसके प्रथम चरण मैथन का पानी धनबाद लाया जाना था तथा तृतीय चरण में 12 टंकियों का निर्माण किया जाना था ?	स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि फेज–2 में 12 टंकियों का निर्माण किया जाना था, जिसमें 11 अदद टंकी से जलापूर्ति की जा रही है। एक अदद वासेपुर में टंकी का कार्य निर्माणाधीन है जिससे मई 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
2	क्या यह बात सही है कि इस योजना का उद्घाटन वर्ष 2007 में हुआ, किन्तु तीन वर्षों के पश्चात इसकी देख–रेख कर रही कम्पनी ने इसे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सौंप दिया ?	स्वीकारात्मक। 25 जून 2007 के उद्घाटन के पश्चात् वर्ष 2011 जुलाई तक मेसर्स नागार्जुना कन्सट्रक्शन कम्पनी योजना का देख–रेख किया। तत्पश्चात विभाग द्वारा E –Tender आमंत्रित किया गया एवं चेन्नई की कम्पनी (VA-Tech-Wabag Ltd) को O & M का कार्य दो वर्ष के लिए आवंटित किया गया। वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में O & M का कार्य अग्रतर करने का निर्णय लिया जायेगा।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री प्रमोद भट्ट के समय 30 लाख रू० प्रतिमाह के दर से इस योजना की आगे की देख–रेख के लिए चेन्नई की एक कम्पनी (VA-Tech-Wabag Ltd) की नियुक्ति की गयी ?	कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।
4	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(3) में वर्णित कम्पनी की लापरवाही तथा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री प्रमोद भट्ट जो सम्प्रति मा०उ०, धनबाद में पदस्थापित हैं तथा P.H.E.D.-Div-I के कार्यपालक अभियंता श्री प्रमोद कुमार की कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण उक्त योजना से संबंधित करोड़ों की परिसम्पति का नुकसान हुआ है तथा यह पूरी योजना ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण पेयजल की संकट से लाखों लोग प्रभावित है ?	अस्वीकारात्मक। योजना चालू है एवं आवश्यकतानुसार प्रतिदिन औसत 30 M.L.D से अधिक जलापूर्ति की जाती है। इसमें घर सम्बन्धन काफी कम है। इसे नगर निगम द्वारा प्राथमिकता पर बढ़ाने एवं राजस्व बढ़ोतरी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
5	यदि प्रश्न खण्ड (1) से (4) के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस पूरे मामले को उच्चस्तरीय जाँच करवाने तथा दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है ? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त के कम में स्पष्ट है कि योजना चालू है एवं लगभग 4,50,000 आबादी को जलापूर्ति की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–07/ता० प्रश्न–02–28/2014– 949 राँची, दिनांक– 19/3/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं० प्र०–1289 वि० स०, राँची, दिनांक 16.03.15 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

19/3/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
19/03/15

214

डॉ0 अनिल मुरमू, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–45 का उत्तर प्रतिवेदन ।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – डॉ0 अनिल मुरमू, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा गरीबों को [illegible] मुहैया कराया जाता है ;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में अभी भी बहुतायत मात्रा में गरीब महिलाओं एवं पुरूषों का नाम अतिरिक्त B.P.L. सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड लिट्टीपाड़ा, आमड़ापाड़ा, हिरणपुर एवं गोपीकांदर में भी अतिरिक्त B.P.L. सूची में गरीबों का नाम सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	अस्वीकारात्मक
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुनः B.P.L. का सर्वे कराकर गरीब महिलाओं पुरूषों को जिनका नाम अतिरिक्त B.P.L. सूची में नहीं है उन्हें सूचीबद्ध कराकर लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के पश्चात सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के डाटा तथा भारत सरकार के निदेशों के आधार पर बी0पी0एल0 व्यक्तियों की नयी सूची तैयार की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1315 दिनांक 24.03.15

ग्रा0वि0 08–वि0स0–25 / 2015

प्रतिलिपि :– ऊवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 1483 / वि0स0 दिनांक 19.03.2015 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 1315 दिनांक 24-03-15

ग्रा0वि0 08–वि0स0–25 / 2015

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव / डॉ0 अनिल मुरमू, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

215

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 25.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 37 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के तहत 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 26 विषयों को क्रियान्वयन का अधिकार पंचायतों को स्थानांतरित करना है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह भी है कि उक्त अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं जिसमें से 24 विषयों से संदर्भित 12 विभागों के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि पंचायत चुनाव के 4 वर्ष बाद भी सरकार ने इस दिशा में कुछ विशेष नहीं किया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । इन शक्तियों के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पंचायत गठन के पश्चात सरकार द्वारा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001, झारखण्ड पंचायत (मुखिया/उप मुखिया/प्रमुख/उप प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के शक्तियाँ एवं कृत्य) नियमावली 2011 तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के संदर्भ में निर्देश निर्गत की गई है ।
(3) क्या यह बात सही है कि इन कारणों से पंचायत स्वायत शासन की सक्षम संस्था नहीं बन पा रही है ?	अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि संविधान के अनुसूची 11 अन्तर्गत 29 विषयों में से 24 विषयों से संदर्भित 12 विभागों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । साथ ही प्रत्यायोजित शक्तियों के संदर्भ में मार्गदर्शिका भी निर्गत की गई है । इन शक्तियों के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों को सरकार द्वारा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001, झारखण्ड पंचायत (मुखिया/उप मुखिया/प्रमुख/उप प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के शक्तियाँ एवं कृत्य) नियमावली, 2011 गठित की गई है ।
(4) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस दिशा में अविलम्ब निर्णय लेने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तदैव पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार लगातार तत्पर है ।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0जी0 (विशेष प्रकोष्ठ) विभाग ।

ज्ञापांक:–1स्था(वि0)–32/2015–858–/, राँची, दिनांक: 24.3.15

प्रतिलिपि:- 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1131 दिनांक 12.03.2015 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

..2/..

ज्ञापांक:- 1स्था(वि0)-32/2015-858 ---/, राँची, दिनांक- 24.3.15

प्रतिलिपि:- मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

24/3/15

सरकार के अवर सचिव

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय वि०स० से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न सं० 47 की उत्तर सामग्री :-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 905, दिनांक-28 मार्च, 2011 द्वारा 75000/-रूपये प्रतिमाह के मूलवेतन राशि पर अनुबंध के आधार पर पी०आर०ए० सेल के नियुक्ति जे०एस०आर०ए०जी०ए० के अधीन परामर्शी के पद पर की गयी है,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-- के संज्ञान में न तो जे०एस०आर०ए०जी०ए० की आय राशि से और न मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त की गयी,	माननीय विभागीय मंत्री -एवं अध्यक्ष जे०एस०आर०ए०जी०ए० का अनुमोदन प्राप्त है।
3. क्या यह बात सही है कि पी०अ० ना देवी के विभागीय आदेश-46 दिनांक-- अप्रैल, 2011 द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का तकनीकी सचिव का कार्य भी सौंपा गया जबकि विभाग में तकनीकी सचिव का पद ही स्वीकृत नहीं है	आंशिक स्वीकारात्मक। कार्यालय में श्रीमती पी० अंजना देवी को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जे० एस० आर० ए० डी० ए० के तकनीकी सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्त कार्य करने का भार दिया गया है।
4 यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित नियम के विरुद्ध नियुक्ति को रद्द कर पी० अंजना देवी द्वारा लिये गये वेतन की जाँच करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस संबंध का कोई विषय सामने नहीं आया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :- 05 (वि०स०-12) 288/15 ग्रा०का०वि० 906 राँची, दिनांक 24-3-15

प्रतिलिपि अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 250 प्रतियों में अपने ज्ञापांक-1489 दिनांक 19.03.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

24.3.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 05 (वि०स०-12) 288/15 ग्रा०का०वि० 906 राँची, दिनांक 24-3-15

प्रतिलिपि- मंत्री मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं अभियान नियंत्रण, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24.3.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 05 (वि०स०-12) 288/15 ग्रा०का०वि० 906 राँची, दिनांक 24-3-15

प्रतिलिपि प्रभाग-5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24.3.15
सरकार के उप सचिव।

217

माननीय, वि०वि०स०, श्री बादल द्वारा दिनांक 25.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प०नि०वि० उत्तर
क्या मंत्री, प०नि०वि०, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1 क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड बनाने की सड़क योजना का शिलान्यास वर्ष 2007 में किया गया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया जा सका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची रिंग रोड की कुल लम्बाई 85.089 कि०मी० है, जिसे कुल सात खण्डों (सेक्शन) में विभाजित किया गया है। मात्र सेक्शन-VII का शिलान्यास वर्ष 2007 में किया गया था।
2 यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार महत्वपूर्ण रिंग रोड योजना के निर्माण कार्य को कब तक पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	सेक्शन-III से सेक्शन-VI तक में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सेक्शन-I एवं II का निर्माण कार्य NHAI द्वारा राँची बाईपास के रूप में किया जा रहा है। सेक्शन-VII में कार्य में हुए तथाकथित त्रुटियों के कारण संवेदक एवं पर्यवेक्षण परामर्शी को Terminate कर दिया गया है। अवशेष कार्य हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–अल्पसूचित–06/2015 213/15 राँची/दिनांक : 24/03/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 378 दिनांक 17.03.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रवालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० : यथोक्त।

24/03/15
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–अल्पसूचित–06/2015 213/15 राँची/दिनांक : 24/03/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/15
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(218)

श्री रघुनन्दन मंडल, माननीय न०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–39 का उत्तर सामग्री

क्या मंत्री, नगर विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभाग के आदेश के आलोक में मई, 2006 से नगर निगम के तर्ज पर नगर पंचायत गोड्डा में एक बार में 27 गुणा जलकर (टैक्स) बढ़ा दिया गया है ;	वस्तुस्थिति यह है कि नगरपालिका जल कार्य, संधारण, जल अधिभार एवं गृह जल संयोजन नियमावली, 2006, जो अधिसूचना संख्या–1625, दिनांक–21.05.06 द्वारा संसूचित है में किये गये प्रावधान के आलोक में नगरपालिका क्षेत्र, जिसमें नगर परिषद्/नगर पंयायत शामिल हैं, के आधार पर गोड्डा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत जलकर में वृद्धि की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2006 के मई माह में जलकर टैक्स को पाँच रूपये से बढ़ाकर एकमुश्त 135 रूपये कर दिया गया है ;	नगरपालिका जल कार्य, संधारण, जल अधिभार एवं गृह जल संयोजन नियमावली, 2006 के नियम–27 में किये गये प्रावधान के आलोक में जलकर में वृद्धि की गई है।
3	क्या यह बात सही है कि गोड्डा नगरपालिका क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा नगरपालिका की श्रेणी में आता है तथा दो वक्त के स्थान पर एक बार ही पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा जलापूर्ति की जा रही है ;	जल स्रोत में कमी के कारण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा एक बार जलापूर्ति की जा रही है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा नगर पंचायत, जैसे छोटे शहर में 27 गुणा एक मुश्त बढ़े जलकर (टैक्स) को कम करने तथा एक वक्त के स्थान पर दो वक्त जलापूर्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना संख्या–1625, दिनांक–31.05.16 के नियम–27 में किये गये प्रावधान के आलोक में लंबी अवधि के पश्चात् जल शुल्क में वृद्धि की गई है। जल कर में कमी किये जाने का औचित्य नहीं है। गोड्डा शहर के लिए नई गोड्डा शहरी जलापूर्ति योजना आबादी के अनुसार पाँच टावर वाला जलमीनार एवं सुंदर जलाशय से पेयजलापूर्ति संबंधी 1,02,11,70,900/– (एक अरब दो करोड़ ग्यारह लाख सत्तर हजार नौ सौ) रूपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इस योजना के मूर्त रूप लिये जाने के पश्चात् जलापूर्ति में वृद्धि संभव है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–4/न०वि०/अल्प सूचित/104/2015–1096. न०वि०/राँची, दिनांक– 14-03-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1196 दि०–13.03.16 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।